

महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-I का कार्यालय,  
महाराष्ट्र

सं.प्रशा-1/पदोन्नती/ले.लि./2023/203

दिनांक: 03-02-2023

**कार्यालय आदेश**

श्री राकेश आर राऊळ, विविध कार्य कर्मचारी (MTS) को केंद्रीय सिविल सेवा (सीसीएस) (संशोधित वेतन) नियम 2016 के वेतन मैट्रिक्स (19900-63200) के वेतन स्तर 2 में लेखा लिपिक के संवर्ग में पदभार ग्रहण करने की तिथि से परीक्षा कोटे में पदोन्नत किया गया है।

Shri Rakesh R. Raul, Multi Tasking Staff is promoted to the cadre of Accounts Clerk in Level 2 (Two) in the Pay Matrix (19900-63200) of CCS (Revised Pay) Rules 2016 under Examination quota with effect from the date of assumption of charge.

श्री राकेश आर राऊळ, विविध कार्य कर्मचारी को 21-12-2021 में संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना [MACPS] के अंतर्गत पहला आर्थिक बढ़ोतरी मंजूर किया गया है और वे लेवल 2 पर वेतन आहरण कर रहे हैं। अतः उनको आगे वेतन नियतन प्रदान नहीं किया जायेगा। श्री राकेश आर राऊळ, विविध कार्य कर्मचारी को टंकलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ेगी जो वेतन वृद्धि अर्जित करने और पदोन्नति हेतु पात्रता के लिए अनिवार्य है।

Shri Rakesh R. Raul, MTS was granted 1st financial up-gradation under MACPS with effect from 21-12-2021 and is drawing pay in Level 2. Hence no further fixation is admissible to him. Shri Rakesh R. Raul, MTS will have to clear the typing test which is mandatory for earning increments and becoming eligible for promotion to higher post.

केंद्रीय कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 19/05/2009 के अनुलग्नक के पैरा 25 के अनुसार पदोन्नति के लिए मना करने पर, संशोधित सुनिश्चित कैरियर उन्नयन योजना (एम.ए.सी.पी.) के तहत उनको वित्तीय उन्नयन के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।

In the event of refusal of promotion, he will not be eligible to be considered for financial up-gradation under the MACPS in terms of para 25 of Annexure to DoPT O.M. dated 19-05-2009.

उपरोक्त पदोन्नति आगे के आदेशों के अधीन है जो केंद्रीय कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/11/2016-Estt.(Res-I) (Pt-II) दिनांक 15.06.2018 में संदर्भित विशेष अनुमति याचिका के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित किया गया है।

The above promotion is subject to further orders which may be passed by the Hon'ble Supreme Court in respect of the Special Leave Petition as referred to in DoPT O.M. No. 36012/11/2016-Estt.(Res-I) (Pt-II) dated 15-06-2018.

( प्राधिकार: महालेखाकार का आदेश दिनांक : 03-02-2023)

हस्ता/-

वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

सं.प्रशा-1/पदोन्नति/ले.लि./2023/714

दिनांक : 03-02-2023

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित:-

1. महालेखाकार के सचिव /महालेखाकार के व.निजी सचिव
2. समूह अधिकारियों के आशुलिपिक - ग्रेड 1
3. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, प्रशा.-2-3 / स्थापना /अभिलेख -1, 2 / आं.ले.प. /प्रशिक्षण
4. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, टी.एम. /पी. एफ. (विविध) / पेंशन (विविध)
5. भुगतान व लेखा अधिकारी, लेखापरीक्षा, मुंबई 400 020
6. वरिष्ठ लेखा अधिकारी / ईडीपी (एस जी) कार्यालय की वेबसाइट में आदेश अपलोड करने के लिए
7. श्री राकेश आर राऊळ, विविध कार्य कर्मचारी (MTS)
8. महासचिव, लेखा श्रेणी- III एसोसिएशन, मुंबई
9. अतिरिक्त प्रतियाँ

के.ए.रावादी

वरिष्ठ लेखा अधिकारी /प्रशासन-1